

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

ओम प्रकाश –बनाम– वीरों वगेरह

किस्म मुकदमा : अंतर्गत धारा- 76 एल.आर एक्ट

अपील संख्या 44/2025

GCMS No. 2025/48

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नो व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
10.12.2025	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 श्री आनन्द बजाज ने दौरान बहस कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में किया गया बैयनामा दिनांक 01.11.2012 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश घड़साना द्वारा दिनांक 27.01.2016 को निरस्त कर दिया गया है। अपील अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील उक्त बैयनामे के आधार पर ही प्रस्तुत की वही निरस्त कर दिया गया है तो अपील सारहीन(Infructuous) हो जाने से खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त कथन पर सहमति व्यक्त जताई। ऐसी स्थिति में अभिभाषण अपीलांट के निवदेन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन (Infructuous) हो जाने पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है।</p> <p>तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

(विश्राम सोना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

